



कार्यालय के प्रमुख के कलम से



मूगा रेशमकीट बीज संगठन

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

वस्त्र मंत्रालय : भारत सरकार

खानापारा, गुवाहाटी - 781022



कार्यालय के प्रमुख के कलम से

भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के नियंत्रणाधीन कार्यरत मूगा रेशमकीट बीज संगठन(मूरेबीसं) एवं एरी रेशमकीट बीज संगठन(एरेबीसं), केन्द्रीय रेशम बोर्ड, खानापारा, गुवाहाटी देश के एक गणमान्य संस्थानों में से एक है। मूगा रेशमकीट बीज संगठन (मू.रे.बी.सं.) मूगा बुनियादी बीज उत्पादन के लिए पैतृक स्टॉक के रखरखाव के साथ ही विभिन्न राज्यों के रेशम विभागों एवं अभिगृहित बीज पालकों को इसकी आपूर्ति तथा सूक्ष्म मात्रा में व्यवसायिक बीज उत्पादन कर रहा है। वर्ष 2019-20 के जनवरी से जून की अवधि के दौरान मूगा रेशम बीज संगठन का उत्पादन काफी उत्साहवर्धक रहा। वित्तीय वर्ष के चतुर्थ तिमाही जनवरी से मार्च 2020 की अवधि में मूगा रेशम बीज उत्पादन की उपलब्धि 99.4% रही। वर्ष 2019-20 माह मार्च तक मूगा इकाइयों की कुल उपलब्धि 101% तथा मूल बीज उत्पादन की उपलब्धि 88% तथा वाणिज्यिक बीज उत्पादन की उपलब्धि 101% रही। निजी मूगा कीटपालकों का बीज उत्पादन 125% दर्ज किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम तिमाही अप्रैल से जून 2020 की अवधि में मूगा रेशम बीज उत्पादन की उपलब्धि 157% रही। अप्रैल से जून 2020 की तिमाही में मूगा इकाइयों की उपलब्धि 187% रही अधिकृत बीज पालकों की उपलब्धि 88% तथा निजी मूगा पालकों का बीज उत्पादन 89% दर्ज किया गया। जून 2020 तक मूगा रेशम बीज का कुल उत्पादन 2.11 लाख (36%) दर्ज किया गया। कोविड 19 के कारण राष्ट्रीय लॉकडाउन के प्रथम चरण के दौरान, मूरे बी उ के कलियाबारी ने तुरा, मेघालय क्षेत्र के किसानों से बीज कोसा खरीदकर अनाज का संचालन किया और मांगकर्ता एजेंसियों को बीज की आपूर्ति करने में सहायता की। पूर्वोत्तर के राज्यों विशेष रूप से असम जहां मूगा रेशम उत्पादन का महत्व सांस्कृतिक है, मूगा रोग मुक्त बीज के उत्पादन की गुणवत्ता को बरकरार रखने हेतु मूगा रेशम बीज संगठन की अर्ध वार्षिक प्रगति की ओर किए गए प्रयास उत्साहजनक और सकारात्मक हैं।

जनवरी से मार्च 2020 की अवधि में मूगा विस्तार गतिविधियों के तहत 6 कृषक जागरूकता शिविर, 3 क्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षमता निर्माण के तहत 100 मूगा लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। कुशल प्रशिक्षण और उद्यम विकास कार्यक्रम के तहत 25 कें. रे. बो. के अधिकारियों को मूरे बी सं, मुख्यलाय, गुवाहाटी में प्रशिक्षण दिया गया। राष्ट्रीय रेशम कीट बीज संगठन के तहत प्रायोजित 4 बीज अधिनियम जागरूकता कार्यक्रम मूरे बी सं की इकाइयों तुरा, नारायणपुर, नोंगपोह, कोवाबिल में आयोजित किया गया था। पी-4 तुरा और पी-3 नोंगपोह को आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणन से मान्यता प्राप्त हुआ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम तिमाही अप्रैल से जून 2020 की अवधि में एरी रेशम बीज उत्पादन की उपलब्धि 106% रही। अप्रैल से जून 2020 की तिमाही में एरी इकाइयों द्वारा बुनियादी बीज उत्पादन की उपलब्धि 120.7% रही, तथा वाणिज्यिक बीज का उत्पादन की उपलब्धि 102.4% दर्ज किया गया। जून 2020 तक एरी रेशम बीज का कुल उत्पादन 64,475 (10.75%) दर्ज किया गया। एरेबीउके बोंगरा को आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन से मान्यता प्राप्त हुआ।

इसके अलावा पी2 एरी बुनियादी बीज फार्म, तोपाटोली, असम एरी मूल बीज फार्म के उत्पादन और रख-रखाव के लिए आवश्यक वृक्षारोपण और बुनियादी ढांचे के साथ पूरी तरह से कार्यात्मक बना है। मूरेबीसं/एरेबीसं को गुणवत्तायुक्त मूगा/एरी बीज उत्पादन और घातक बीमारी के रोकथाम के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है। बीज उत्पादन में विभिन्न बाधाओं से निपटने के लिए रणनीतिक योजना तथा बीज की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मूरेबीसं परिवार का कठिन प्रयास आनेवाले वर्षों में भी जारी रहेगा।

उपगत वरपूजारी

(पी.वरपूजारी)

वैज्ञानिक-डी एवं प्रमुख



मूगा रेशमकीट बीज संगठन, गुवाहाटी केन्द्र में केन्द्रीय रेशम बोर्ड में अखिल भारतीय स्तर पर दिनांक-10.01.2020 को हिन्दी में आयोजित "सिल्क रोड : मिथया या वास्तविकता" के विषय पर आयोजित "प्रतियोगिता परीक्षा देते हुए पदधारी।



दिनांक 04.03.2020 को मेंदीपाथर में आयोजित संयुक्त हिन्दी कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में व्याख्यान देते हुए श्री शेख रम्तु बाषा, सहायक निदेशक (राभा) तथा श्री ब्रजेन्द्र चौधरी, वैज्ञानिक डी व प्रधान, मूगा रेशमकीट बीज संगठन।



दिनांक 21.02.2020 को आयोजित संयुक्त हिन्दी कार्यशाला समापन समारोह में भाग लेतु हुए श्री बदरी यादव, उप निदेशक प्रभारी, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय सुश्री डॉ शर्मिला ताई, हिन्दी प्राध्यापक, केंहिशियो, गुवाहाटी एवं शेख रम्तु बाषा, सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं समन्वयक



दिनांक 20 फरवरी 2020 को एरी रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र/एरी पी2 बुबीफा, होसूर द्वारा एरी कृषि विज्ञान मेला का उद्घाटन समारोह में द्वाीप प्रज्वलन करते हुए श्री राममूर्ती, उप निदेशक, रेशम निदेशालय, तमिलनाडु

संक्षिप्त रिपोर्ट:-

दिनांक 20 फरवरी 2020 को एरी रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र/एरी पी2 बुबीफा, होसूर में एरी कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए केंद्र के डॉ किशोर कुमार प्रभारी ने एरिकल्चर का संक्षिप्त परिचय दिया और विशेष कर तमिलनाडु में इसके भविष्य के बारे में बताया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री राममूर्ती, उप निदेशक, रेशम निदेशालय, तमिलनाडु द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने गरीब किसानों के लिए एरिकल्चर की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताया तथा उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों में इसका विकास का परिचय दिया तथा इन राज्यों में एरिकल्चर प्रारंभ होने का मुख्य उद्देश्य को अवगत करवाते हुए प्युपा की उन्नत प्रकृति, एरी रेशम का आयात इसकी गुणवत्ता और विशेष रूप से इसके थर्मल गुणों का परिचय दिया और हाल ही में तमिलनाडु में एरिकल्चर का विकास तथा श्रीमती वेंकटा प्रिया, भा.प्र.से ने एरी कोसों का गुणवत्ता एवं शहत् रेशम तथा एरी रेशम की तुलना की। श्री मुरुगण, प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण संस्थान, रेशम निदेशालय तमिलनाडु ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने रेशम निदेशालय द्वारा एरिकल्चर के विकास हेतु संचालित किए जाने वाले विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। डॉ जलालुद्दीन, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ, कृषि अनुसंधान केन्द्र, पायनूर, कृष्णागिरी ने विभिन्न कृषि पद्धतियों के साथ साथ एकीकृत खेती के बारे में बताया।

समारोह में अच्छी उपज प्राप्त करने वाले तथा जिन्होंने एरिकल्चर के माध्यम से कुछ कमाया हो उन्हें समारोह में सम्मानित किया गया। छात्रों के लिए एरिकल्चर प्रदर्शनी की व्यवस्था की गई। और नए किसानों के लिए भी एरिकल्चर के बारे में पता करने के लिए अनिश्चितकालीन मीडिया कर्मियों ने भी कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और रिपोर्ट ली। समाचार पत्र में उसी को प्रकाशित करने के लिए प्रभारी से आग्रह किया गया। केंद्रीय रेशम बोर्ड के प्रचार अनुभाग के प्रमुख डॉ आर.के. सिन्हा और सीनियर आर्टिस्ट ने भी कार्यक्रम का दौरा किया और केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सभी पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के लिए छायाचित्र लीं। डॉ वेलयुधन वैज्ञानिक - डी के धन्यवाद जापान से कार्यक्रम का समापन हुआ।



दिनांक 20 फरवरी 2020 को एरी रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र/एरी पी2 बुबीफा, होसूर द्वारा एरी कृषि विज्ञान मेला का समापन समारोह में राष्ट्रगाण गाते हुए डॉ वेलयुधन, वैज्ञानिक डी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति



दिनांक 20 जनवरी 2020 को एरी रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र, बांगरा द्वारा आयोजित एरी कृषि विज्ञान मेला का उद्घाटन समारोह में स्वागत करते हुए डॉ ललिता, वैज्ञानिक डी एरेबीउकें, बांगरा।

संक्षिप्त रिपोर्ट:-

एरी रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बांगरा द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र, ए ए यू कहिकुरुची, कामरूप में दिनांक 20.01.2020 को कृषि विज्ञान मेला का आयोजित किया गया। उक्त कृषि विज्ञान मेला में कुल 243 एरी रेशमकीट पालकों ने असम के विभिन्न क्षेत्रों से भाग लिए। डॉ ललिता, वैज्ञानिक डी, एरी रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र, बांगरा ने एरी कृषकों एवं गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। श्री बी चौथरी, वैज्ञानिक डी व प्रमुख, मृगा रेशमकीट बीज संगठन, गुवाहाटी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। डॉ जोगेश देवरी, निदेशक, रेशम निदेशालय, बीटीएडी, ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया। अतिथि के रूप में भाषण देते हुए डॉ जोगेश देवरी ने कहा कि ग्रामीण जनता की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में रेशम सेक्टर का महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उन्होंने कहा कि बीटीसी 1 मई, 2020 को एरी रेशम दिवस के रूप में मनाएगी। डॉ डी एन कलिथा, केवीके, असम कृषि विश्वविद्यालय, डॉ बी के सिंह, निदेशक (सेव-निवृत्त), केंरेबों एवं श्री एम सैक्या, रेशम निदेशालय ने असम एवं अन्य राज्यों में एरिकल्चर के प्रचार को बढ़ावा देने के संबंध में भाषण दिए। इसके अलावा स्वीकृत बीज कीटपालकों सहित अन्य संगठन जैसेकि आई सी ए आर, कृषि विभाग, असम कृषि विश्वविद्यालय, असम राज्य रेशम उत्पादन विभाग, एनजीओ, स्व-सहायता करने वाले समूह एवं प्रगति कृषकों ने एरी कृषि मेला में भाग लिया। डॉ(श्रीमती)एन ललिता के धन्यवाद जापान से कार्यक्रम समाप्त हुआ।



दिनांक 20 जनवरी 2020 को एरी रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्र, बांगरा द्वारा आयोजित एरी कृषि विज्ञान मेला के दौरान आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए डॉ जोगेश देवरी, निदेशक, रेशम निदेशालय, बीटीएडी

एरी कीटपालन के लिए नर्सरी में केसरू पौधों (*Heteropanax fragrans*) का विकास और रोपण पद्धति

केसरू पौधा एरी रेशम कीट पालन का अच्छा खाद्य पौधा है और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। केसरू पौधा के उपजाऊ अम्लीय मिट्टी में बहुत महत्व रखती है और उच्च, समतल और ढलानदार भूमि वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है। केसरू (*Heteropanax fragrans*) नरम लकड़ी का पेड़ है और एरी रेशम कीट के बारह-मासी खाद्य पौधे हैं।



चित्र-1 नर्सरी में केसरू के पौधे



चित्र-2 केसरू पेड़ कीटपालन के लिए तैयार

केसरू के पौधे उगाने के लिए फरवरी-मार्च की अवधि उपयुक्त है। मैदान या अच्छी तरह से सूखा ढालू भूमि का चयन करना चाहिए, जहां पानी स्थिर न हो। केसरू नर्सरी के लिए 2 से 3 बार भूमि की जुताई की आवश्यकता होती है। मिट्टी को समतल करने के बाद 6x2 मीटर आकार का बिस्तर बनाएं और बिस्तर जमीन के स्तर से 15 सेंमी ऊपर होनी चाहिए। प्रत्येक बिस्तर पर 6 क्यूबिक फीट (Cft.) फर्म यार्ड मैन्यूर (FYM) और रेत (Sand) ढालें। रेत (Sand) और मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाएं और दो 2 सप्ताह के लिए छोड़ दें। बीज बुवाई के 2 दिनों से पहले 0.1% एंडोफिल एम-45 @ 20 लीटर प्रत्येक बेड के लिए ढालें और कीट के हमले से बचने के लिए इसे मिट्टी से ढाकिए।



चित्र-1 केसरू बीज पौधे पर



चित्र-2 केसरू की सफाई



चित्र-3 केसरू बीज का डूबना

फरवरी-मार्च के दौरान पके केसरू बीजों को इकट्ठा करें और 1-2 दिनों के लिए छाया में स्टोर करें, बाद में केसरू बीजों को रात भर पानी में भिगो दें। उसके बाद केसरू बीजों को एक गनी कपड़े से साफ करें। अंत में केसरू बीजों को पानी में डालें और अच्छे बीजों का चयन करें।

प्रत्येक नर्सरी बेड में लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम बीज प्रत्येक नर्सरी बेड पर अंतराल को बनाए रखते हुए बोएं। पुआल की एक पतली परत से बोएं हुए बीज को ढकना चाहिए। एक समान अंकुरण के लिए शुष्क मौसम के दौरान समय-समय पर पानी की सिंचाई आवश्यकता होती है। केसरू बीज के शानदार अंकुरण के लिए बिस्तर पर एक शेड कवर बनना जरूरी है। 90% केसरू पौधों के अंकुरण के बाद अप्रयोज्य गीली घास को हटा देना चाहिए और मानसून के बाद शेड को हटा देना चाहिए।

केसरू पौधों को रोपण हेतु 1 फीट चौड़ाई x 1 फीट लंबाई x 1 फीट गूंडाई आकार के गड्ढे बनाएं और 3-4 किलोग्राम फर्म यार्ड मैन्यूर (FYM) मिट्टी के साथ अच्छी तरह से 1.0 ग्राम इंडोफिल एम-45 को मिलाएं। केसरू पौधा रोपण के लिए पहड़ी जगाओं में 2x2 मीटर और समतल जगाओं में 3x3 मीटर अंतराल की आवश्यकता है। अगस्त - सितंबर महिने केसरू वृक्षारोपण के लिए उचित मौसम है। 25-35 सें.मी. लंबाई वाले स्वस्थ केसरू पौधे को जहाँ तक हो सके बारीश के दिन रोपण करें। पौधारोपण के बाद जल निकासी की उचित व्यवस्था को अपनाकर जल ठहराव को रोकना चाहिए। तीन साल के पौधारोपण के बाद, केसरू खाद्य पौधे एरी रेशम कीटपालन के लिए तैयार हो जाते हैं।

डॉ बी एन सरकार, वैज्ञानिक-डी
मूरेबीसं, गुवाहाटी



दिनांक 04.02.2020 को मिदुगारापल्ली गाँव में आयोजित एरिकल्चर क्षेत्र दिवस में कृषक का सम्मानित करते हुए डॉ वल्लेयुद्वन, वैज्ञानिक डी व प्रभारी, होसुर



दिनांक 26.02.2020 को कोलागाँव, टोपाटोली में आयोजित एरी जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह में भाग लेते हुए डॉ बी. बी. सिंह, वैज्ञानिक डी, टोपाटोली



दिनांक 8 मार्च, 2020 को आयोजित महिलाओं के अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ महिला श्रीमती मीरा भराली, सहायक अधीक्षक को सम्मानित करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी श्री डेका, संयुक्त सचिव (तक) एवं श्री सोनी विजय कुमार, वैज्ञानिक डी व प्रधान



दिनांक 03.02.2020 से 04.02.2020 तक मृगा स्वीकृत बीज कीटपालकों के लिए पी4 इकाई, मेंदीपाथर, मेघालया में आयोजित क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए श्री महा मजुमदार, वैज्ञानिक बी, मेंदीपाथर।



दिनांक 10 से 15 फरवरी, 2020 तक एरी स्वीकृत बीज कीटपालकों के लिए आयोजित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में भाग लेते हुए डॉ बी. बी. सिंह, वैज्ञानिक डी टोपाटोली



दिनांक 27.01.2020 से 01.02.2020 तक कलियाबारी में आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यालय के प्रभारी डॉ विनिता तामुली ककती, वैज्ञानिक डी, कलियाबारी



मूरेबीस/पेरेबीस के तकनीकी कर्मचारियों के लिए दिनांक 27.01.2020 को आयोजित कुशल प्रशिक्षण उपग्रह विकास कार्यक्रम में व्याख्यान देते हुए डॉ. बी एन सरकार वैज्ञानिक डी, मृगा रेशमकीट बीज संगठन, गुवाहाटी



मूरेबीस/पेरेबीस के तकनीकी कर्मचारियों के लिए दिनांक 27.01.2020 को आयोजित कुशल प्रशिक्षण उपग्रह विकास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री बरपूजारी, वैज्ञानिक डी, तुरा



मूरेबीस, मुख्यालय, गुवाहाटी के श्री ब्रजेन्द्र चौधरी, वैज्ञानिक डी व प्रभारि को सम्मानित करते हुए।



मूरेबीस, मुख्यालय, गुवाहाटी के श्री ब्रजेन्द्र चौधरी, वैज्ञानिक डी व प्रभारि द्वारा सेवा-निवृत्ति के अवसर पर व्याख्यान देते हुए।



मूरेबीस, मुख्यालय, गुवाहाटी के पदधारियों द्वारा श्री सोनाराम दास, सहायक अधीक्षक (प्रशासन) को सम्मानित करते हुए।



डॉ. के. वेलायुद्धम, वैज्ञानिक डी को सेवा-निवृत्ति के अवसर पर एरेबीउके, होसूर के पदधारियों द्वारा सम्मानित करते हुए।

अधिवर्षिता आयु की प्रति पर सेवानिवृत्ति

1. श्री ब्रजेन्द्र चौधरी, वैज्ञानिक डी व प्रभारि, मूरेबीस, गुवाहाटी से दिनांक 29.02.2020 को अधिवर्षिता आयु की प्रति पर सेवा-निवृत्ति हुए।
2. डॉ. के. वेलायुद्धम, वैज्ञानिक डी, एरेबीउके, होसूर से दिनांक 30.04.2020 को अधिवर्षिता आयु की प्रति पर सेवा-निवृत्ति हुए।
3. श्री सोनाराम दास, सहायक अधीक्षक (प्रशासन), मूरेबीस, मुख्यालय, गुवाहाटी से दिनांक 31.05.2020 को अधिवर्षिता आयु की प्रति पर सेवा-निवृत्ति हुए।

स्वर्णवास पदधारी :

	नाम व पदनाम : श्री प्रलोचन मारक, तकनीकी सहायक, कार्यालय का नाम : मूरेबीस, पी3 इकाई, रोमपारा, मेघालय जन्म की तारीख : 01.01.1969 सेवा में प्रविष्ट की तारीख : 31.07.1989 कुल सेवा : 30 Years 6 Months स्वर्णवास की तारीख : 06.01.2020
	नाम व पदनाम : श्री लालेन्द्र नाथ, प्रवर श्रेणी लिपिक कार्यालय का नाम : मूगा रेशमक्रीट बीज संगठन, गुवाहाटी, असम जन्म की तारीख : 01.01.1989 सेवा में प्रविष्ट की तारीख : 13.01.1994 कुल सेवा : 26 Years 02 Months स्वर्णवास की तारीख : 15.04.2020
	नाम व पदनाम : डॉ. एन. टिक्रन सिंह, वैज्ञानिक-सी कार्यालय का नाम : मूरेबीस, पी3 इकाई, पाईलापुल, सिलचार, असम जन्म की तारीख : 01.06.1965 सेवा में प्रविष्ट की तारीख : 03.03.1989 कुल सेवा : 31 Years 03 Months स्वर्णवास की तारीख : 06.06.2020

पदोन्नति :

1. श्री बितोपन दास, वैज्ञानिक सी मूरेबीस, गुवाहाटी को वैज्ञानिक डी के रूप में उसी स्थान पर दिनांक 01.01.2020 को पदोन्नति किया गया।
2. श्रीमती मीरा भराली, उश्रेलि, मूरेबीस, गुवाहाटी को सहायक अधीक्षक (प्रशा.) के रूप में उसी स्थान पर दिनांक 28.01.2020 को पदोन्नति किया गया।
3. श्री ए बी दास, उच्च श्रेणी लिपिक, मूरेबीस, गुवाहाटी को सहायक अधीक्षक (प्रशा.) के रूप में उसी स्थान पर दिनांक 12.05.2020 को पदोन्नति किया गया।

स्थानांतरण:

1. डॉ. सी एम किशोर कुमार, वैज्ञानिक डी, ए.री.रे.वी.उ.के., होसूर को उसी पद पर दिनांक 05.03.2020 को केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान जननद्रव्य संसाधन केंद्र, होसूर में स्थानांतरण हुआ।
2. श्रीमती हेमाश्री, सहायक अधीक्षक (प्रशासन), मूरेबीस, गुवाहाटी को उसी पद पर दिनांक 12.06.2020 को क्षेरीप्रीउके, गुवाहाटी में स्थानांतरण हुआ।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अखिल भारतीय स्तर पर दिनांक-10.01.2020 को सिल्क रोड वास्तविकता या मिथक के विषय पर आयोजित हिन्दी प्रतियोगिता में पुरस्कृत पदधारी :

1. डॉ. लोपामुद्रा गुह, वैज्ञानिक-सी — तृतीय पुरस्कार
3. श्रीमती हेमाश्री सैकिया, सहायक अधी. (प्रशा.) — सात्वना पुरस्कार

दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2020 तक की छमाई के दौरान मूरेबीस, गुवाहाटी के राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित उपलब्धियों

1. मूगा रेशमक्रीट बीज संगठन, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, गुवाहाटी को पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के तहत वर्ष 2018-19 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्य के निष्पादन के लिए द्वितीय स्थान के लिए चयनित किया गया है। लोकलाइन के कारण अभी तक पुरस्कार समारोह का आयोजन नहीं हुआ है।
2. वर्ष 2018-19 का वार्षिक प्रतिवेदन द्विभाषी में प्रकाशित किया गया है।
3. वर्ष 2019-20 के दौरान उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के जानकारी हेतु मूगा रेशमक्रीट बीज संगठन, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, गुवाहाटी कार्यालय द्वारा "हिन्दी न्यूजलेटर" खंड III प्रकाशित किया गया है।
4. छमाई व तिमाही के दौरान धारा 3 (3) तथा नियम 5 का अनुपालन किया गया है।
5. मूगा रेशमक्रीट बीज संगठन, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, गुवाहाटी कार्यालय का वेबसाइट कार्य अंतिम चरण में है।
6. ई-पुस्तिका का कार्य प्रगति पर है।
7. मूगा रेशमक्रीट बीज संगठन, गुवाहाटी के देखरेख में दिनांक-20.01.2020 को संयुक्त हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें मूरेबीस, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय रेशम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, गुवाहाटी एवं पी2 बुनियादी फार्म, टोपातली, पी3 इकाई, नोंगपोह एवं एरेबीउके, बंगरा में कार्यरत कुल 20 पदधारियों ने भाग लिया।
8. उत्तर पूर्व स्थित केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यालयों तथा मूगा रेशमक्रीट बीज संगठन, गुवाहाटी के अधीनस्थ इकाईयों से प्राप्त तिमाही रिपोर्ट का समीक्षा कर उचित मार्गदर्शन दिया गया है।

स्वस्थ मृदा ही स्वस्थ मूगा रेशमकीट का मूलभूत घटक

विक्रमकुमार, महाशंकरमजुमदार
मूगा रेशमकीट बीज संगठन,
केंद्रीय रेशमबोर्ड, गुवाहाटी, असम

भारत देश में 60 वीं शताब्दी के उपरांत परम्परागत कृषि, आधुनिक कृषि में परिवर्तित हो गई। आधुनिक कृषि के अंतर्गत हम अधिक मात्रा में रासायनिक प्रदार्थों से मृदा को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। शुरुआती रूझानों में किसानों को इस से बहुत लाभ मिला परन्तु, आज की स्थिति में इस आधुनिक कृषि से मृदा की रासायनिक, भौतिक एवं जैविक दशा भी लगातार बिगड़ती जा रही है।

ऐसी दशा में खाद व उर्वरकों का संतुलित उपयोग मूगा के होस्ट पोधों में पत्तियों की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु अत्यावश्यक है। वर्तमान समय में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैशियम, सल्फर, जिंक और बोरॉन जैसे पोषक तत्वों की कमी पायी जाती है तथा कई जगहों में लोहा तथा मैंगनीज की कमी भी देखी गई है। इसका मुख्य कारण किसानों द्वारा उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग करना है। रेशमकीट और मृदा का स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मृदा स्वास्थ्य की जाँच अति आवश्यक है, इस जाँच के अनुरूप उसे काम में लेने की आवश्यकता है।

मृदा जाँच का इतिहास:-

मृदा जाँच का कार्यक्रम आज का नहीं है बल्कि, यह सन 1955-56 में 16 जाँच प्रयोगशालाओं के साथ शुरू हुआ था। सन 1980 तक इन प्रयोगशालाओं में केवल मृदा का पी.एच., ई.सी., मृदाकणाकार, कार्बन, उपलब्ध नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैशियम की जाँच होती थी जो कि मृदा स्वास्थ्य कि सम्पूर्ण रिपोर्ट के लिए काफी नहीं था, इसलिए सन 2015 से इस कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा बढ़ावा दिया गया तथा हर वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस घोषित किया गया।

मृदा जाँच के उद्देश्य:

- मृदा उपजाऊपन से सम्बन्धित कमी को खोजना तथा उसी के अनुसार खाद एवं उर्वरकों कि अनुशंसा करना।
- मृदा जाँच के अनुरूप पोषक तत्वों का प्रबंधन।
- होस्ट पोधो कि उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ मृदा का उपजाऊपन बनाए रखना।

मृदा स्वास्थ्य की जाँच की जरूरत :-

- पोषक तत्व स्तर एवं इसकी उपलब्धता जानने में मदद मिलती है।
- किस तरह का उर्वरक प्रयोग करना है तथा कितनी मात्रा में करना है इसकी जानकारी मिलती है।
- उर्वरकों पर हो रहे अनावश्यक खर्च को कम किया जा सकता है।
- मृदा स्वास्थ्य एवं उसकी दशा को अधिक समय तक बनाए रखने में मदद मिलती है।
- यह सही एवं विवेकपूर्ण ढंग से खाद एवं उर्वरक प्रयोग के बारे में बता कर मृदा में होने वाले खतरे को कम करता है।

मृदा जाँच का नमूना कैसे एकत्र करने की तरीका :-

1. किसान अपने अनुभव के आधार पर अपने पूरे बागान को एक जैसे कई भागों में बाँटें।
2. बागान के प्रत्येक भाग से एक-एक नमूना लें। नमूना लेने से पहले उस स्थान की ऊपरी सतह से कचरा हटा दे।
3. मृदा नमूना लेने वाले विभिन्नस्तरों (आवश्यकतानुसार 15, 30 एवं 45 सेमी) की मिट्टी लें।
4. पुरे बागान से कम से कम 10 से 15 जगह की मिट्टी लें।
5. यदि मिट्टी का नमूना लेने वाला यंत्र उपलब्ध नहीं होतो मृदा त्रिकोण आकार का काट लगा

कर उससे मिट्टी मिट्टी लें।

अब सभी जगह से लिए हुए नमूने को एकत्र करे तथा मिट्टी के बड़े डेले, पोधो की जड़े, पत्थर के टुकड़े आदि हटा लें।

एकत्र की गई मिट्टी को चार-चार समान भागों में बाँटे तथा विपरीत दिशाओ से दो भागों को हटा दें एवं बचे हुए दो भागों को वापस मिला दें।



पुनः जिसे चार भागों में बाँटे तथा यह प्रक्रिया तब तक दोहराए जबतक आधा किलो मिट्टी बच जाए।

नमूने के लिए ली गई मिट्टी को एक साफ सुथरे कपड़े या पॉलीथिन बैग में डालें। बैग पर लेबल लगा कर उस पर किसान का नाम, दिनांक, किसान का पता आदि आवश्यक जानकारी अंकित करे।

मृदा नमूना लेने की गहराई:-

नमूने की गहराई होस्ट पोधो की उम्र पे अधिक निर्भर करती है जैसे कि

1. होस्ट पोधो के अंकुरों को नए बागान में उगने हेतु 15 से 30 सेंमी।
2. वयस्क पोधे की जड़ों के अनुरूप 30 से 150 सेंमी तक की गहराई से नमूना लें।

नमूना लेते समय ध्यान रखने योग्य बातें-

- i) नमूना वर्षा, सिंचाई, उर्वरक प्रयोग तथा फसल का कूड़ा-कचरा जलाने के तुरंत बाद नहीं लेना चाहिए।
- ii) नमूने के लिए मिट्टी सिंचाई की नहर, मेड, खाद के गड्डे, छायादार वृक्ष तथा सड़क के किनारे के पास से नहीं लेना चाहिए।

नमूने की पैकिंग :-

नमूने की पैकिंग औरस इनके परीक्षण के लिए भेजने से पहले इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है

- नमूनों को छायादार स्थान पर हवा में सूखा लेना चाहिए।
- नमूनों को सूखाकर प्लास्टिक की थैलियों में भर लेना चाहिए।
- प्लास्टिक की थैली में मिट्टी का नमूना भर के उसे कपड़े की थैली में दाल दे और उस पर एक लेबल अवश्यक ही लगाएं।
- कपड़े की थैली पर भी पेंसिल या स्याही से लेबल लगा देना चाहिए। थैली को अच्छी तरह से सील बंद कर दें।

मूगा किसान भाइयों से अनुरोध है कि वे अपने बागान में खाद या उर्वर को का प्रयोग मृदा जाँच रिपोर्ट के अनुसार ही करें। कम से कम हर दूसरे वर्ष एक बार बागान की मिट्टी की जाँच अवश्य करवाएं वरना मृदा में पोषकतत्वों की मात्रा में संतुलन बिगड़ने से भूमि में अनुपजाऊ होने के खतरे के साथ-साथ होस्ट पोधों की पत्तियों में पोषक तत्वों की कमी के लिए भी जिम्मेदार है। पत्तियों में इन पोषक तत्वों की कमी का सीधा असर हमारे मूगा रेशमकीट पर पड़ता है, जिससे या तो हम अच्छी फसल नहीं लें पाते या इन रेशमकीट में रोग प्रतिरोधकता बहुत कम हो जाती है।

मिट्टी के नमूने की जाँच के लिए किसान भाई केंद्रीय रेशम बोर्ड के किसी भी निकटतम अनुसंधान केन्द्र(रीसर्च स्टेशन) से या कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित मृदा कृषि प्रयोगशाला से काफी किफायती दरों से न केवल मुख्य अपितु सूक्ष्म तत्वों की भी जानकारी ले सकते हैं। मृदा जाँच की रिपोर्ट 7 से 15 दिन के अंदर आपको प्राप्त हो जाती है जिससे आप मृदा की आवश्यकता के अनुसार खाद या उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

राजभाषा नियम - एक झलक

- नियम 2 :** भाषायी वर्गीकरण के अनुसार पूरे देश को निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:-
- "क" क्षेत्र** क्षेत्र "क" में बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरखंड, अंडमान निकोबार, द्वीप समूह और दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।
- "ख" क्षेत्र** क्षेत्र "ख" में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, दमन, दीव एवं दादरा एवं नगर हवेली, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।
- "ग" क्षेत्र** क्षेत्र "ग" में अरुणचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तलंगाना, आंध्र प्रदेश, लक्षदीव, पांडिचेरी, गोवा एवं उपर निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।
- नियम 5 :** इस नियम के अनुसार हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाना अनिवार्य है।
- नियम 6 :** अधिनियम की धारा-3 की उपधारा 3(3) में विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही प्रयोग में लाई जाएंगी और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि ऐसे दस्तावेज द्विभाषी तैयार किए जाएं और जारी किए जाएं।
- नियम 7 :** (1) कर्मचारी कोई भी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।
(2) उपनियम 1(1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन जब भी हिन्दी में किया जाए या उसमें हिन्दी में हस्ताक्षर हों तो उसका उत्तर हिन्दी में ही दिया जाएगा।
(3) यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि उससे संबंधित सेवा विषयों से संबंधित कोई सूचना, अनुशासनिक कार्रवाई, आदेश आदि हिन्दी या अंग्रेजी में उसे दिया जाए तो उसे उसी भाषा में दिया जाएगा।
- नियम 8 :** केन्द्र सरकार के कार्यालयों में टिप्पण का लिख जाना :
- कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिन्दी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करें।
 - कोई भी कर्मचारी जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, किसी दस्तावेज के अनुवाद की मांग तभी कर सकता है जब वह दस्तावेज विधिक का तकनीकी प्रकृति का हो, अन्यथा नहीं।
 - कोई दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं, इसका निर्णय कार्यालय का प्रधान करेगा।
 - उपनियम 1(1) में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है, जहाँ ऐसे कर्मचारियों द्वारा जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा।
- नियम 9 :** हिन्दी में प्रवीणता:
- किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, यदि उसने:-
- मैट्रिक परीक्षा या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण की है,
 - स्नातक परीक्षा या समकक्ष या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को वैकल्पिक विषय के रूप में लिया है,
 - केन्द्रीय सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन पारंगत पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण की है, अथवा वह स्वयं यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है।
- नियम 10 :** हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान:
- किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, यदि उसने:-
- मैट्रिक परीक्षा या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की है,
 - केन्द्रीय सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट वर्ग के पदों के संबंध में निर्धारित कोई निम्नस्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है अथवा वह स्वयं यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है।
- नियम 10 (2) :** यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों में से 80 प्रतिशत ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उस कार्यालय के सभी कर्मियों के बारे में सामान्यतः यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।
- नियम 10 (4) :** (1) केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे। परंतु यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख से उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।
- नियम 11 :** मैन्युअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधि साहित्य, लेखन सामाग्री आदि
- केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैन्युअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधि साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में यथास्थिति मुद्रित किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।
 - केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जानेवाले राजिस्ट्रों के प्रारूप और शीर्षक द्विभाषी (हिन्दी/अंग्रेजी) होंगे।
 - केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्र शीर्षक (लेटर हेड) और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख लेखन सामाग्री की अन्य मर्दें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी।
- नियम 12 :** अनुपालन का उत्तरदायित्व
- केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह :-
(i) यह सुनिश्चित करें कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है और,
(ii) इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करें।
 - केन्द्रीय सरकारी अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है।

संपादक

शेख रमनु बापा, सहायक निदेशक(राभा),
पी, वरपुजारी, वैज्ञानिक डी व प्रमुख,
मृगा रेशमकीट बीज संगठन, केंरेवो, गुवाहाटी

(राजभाषा विभाग के वेबसाइट से संग्रहित)